न्यायालय :- उपजिलाधिकारी
मण्डल :मेरठ, जनपद :बुलन्द शहर , तहसील :डिबाई
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T20161117071041
वाद संख्या:- 1041/2016
श्रीमती शीला देवी बनाम उ0प्र0सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 03/05/2016

न्यायालय उपजिलाधिकारी डिबाई श्रीमती शीला देवी वाद सं0-T20161117071041 बनाम धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता उ0प्र0सरकार मौजा-डि देहात, पर0 व तह0-डिबाई निर्णय प्रश्नगत् वाद में वादिनी श्रीमती शीला देवी पत्नी हम्वीर सिंह निवासी ग्राम विजय नगलियां परगना वतहसील जिला बुलन्दशहर द्वारा मेरे समक्ष दिनांक 15.2.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादिनी ग्राम डिबाई देहात परगना व तहसील डिबाई बुलन्दशहर के खाता सं0 224 के खेत नं0 857 रकबा 1.201हे0 लगानी रू0 45.10 सलाना की संक्रमणीय भूमिधर काबिज काश्तकार है। वर्णित भू कान्ति देवी वल्द दिविया निवासी ग्राम के नाम थी, जो विक्रय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण रकबे पर वादिनी का नाम बतौर केरता दर्ज हो चुका है। वि भूमि शहरी की आबादी के नजदीक होने के कारण कृषि प्रयोग में नहीं आ रही है तथा कृषि बागवानी व कुक्कुट पालन अथवा मछली पालन जैसे कृ उपयोग में न होने के कारण भूमि का गैर कृषिक घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादिनी द्वारा खेत नं0 857 के रकबा 1.201हे0 डि डिबाई देहात का प्रयोग कृषि कार्य में न होने तथा आबादी के रूप में प्रयोग होने के कारण आबादी घोषित कर लगान मुक्त किया जाना अत्यन्त आ है। अन्त में अनुरोध किया गया कि वादिनी के खेत नं0 857 रकवा 1.2010हे0 का प्रयोग कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्सय पालन कुक्कुट पाल में उपयोग न होने के कारण तथा उसका प्रयोग आबादी में होने के कारण उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाकर लगान माफ किया जाये। उ प्रार्थना पत्र की तहसीलदार डिबाई से जॉच कराकर आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार डिबाई ने अपनी जॉच आख्या दिनांक 30.4.2016 में उल्लेख कि ग्राम डिबाई देहात परगना व तहसील डिबाई फसली 1418-1423 के खाता सं0 224 के गाटा सं0 857 रकवा 1.2010हे0 लगानी रू0 45.10 भूमि खातेदार श्रीमती शीला देवी पत्नी हम्वीर सिंह संक्रमणीय भूमिधर काबिज काश्तकार है प्रार्थीया उक्त खेत नं0 857 रकवा 1.201हे0 में किसी प्रका कृषि कार्य, पशुपालन, मतस्य पालन अथवा कुक्कुट पालन में उपयोग नहीं आ रही है। उपरोक्त भूमि का प्रयोग आबादी प्रयोजन में किया जा रहा पर चाहरदीवारी है। उक्त गाटा सं0 पर कृषि कार्य न होने के कारण उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित करने की सहित आख्या प्रस्तुत की गयी है। मैंने वादिनीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का विधिक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपल खतौनी के अवलोकन से विदित हुआ कि ग्राम डिबाई देहात परगना व तहसील डिबाई फसली 1418-1423 के खाता सं0 224 के गाटा सं0 857 रकव 1.2010हे0 भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन व कृषि कार्य से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।" तहसीलदार डिबाई की आख्या से होता है कि ग्राम डिबाई देहात परगना व तहसील डिबाई फसली 1418-1423 के खाता सं0 224 के गाटा सं0 857 रकवा 1.2010हे0 भूमि में दर्ज खाते श्रीमती शीला देवी पत्नी हम्वीर सिंह संक्रमणीय भूमिधर काबिज काश्तकार है प्रार्थीया उक्त खेत नं0 857 रकवा 1.201हे0 का प्रयोग कृषि, बागवा मत्सय पालन अथवा कुक्कुट पालन के रूप में नहीं हो रहा है। उक्त रकबा पर चारदीवारी बनाकर तथा इसके अन्दर पूर्ण भाग में निर्माण कराकर कार्य नही किया जा रहा है। वादिनी द्वारा सर्किल रेट का एक प्रतिशत मु0 69,660/- राजकीय कोष में दिनांक 02.52016 को जमा कर दिया गया उक्त भूमि गाटा सं0 857 रकवा 1.2010हे0 को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित करने में कोई विधिक अड़च नहीं होती है। आदेश अतः तहसीलदार डिबाई की आख्या दिनांक 30.4.2016 के आधार पर स्थित ग्राम डिबाई देहात परगना व तहसील डिबाई फस 1418-1423 के खाता सं0 224 के गाटा सं0 857 रकवा 1.2010हे0 भूमि को लगान से मुक्त कर अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार प अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक डिबाई को निःशुल्क भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

Scanned with OKEN Scanner